बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना–800023
E-Mail: bvm.msoffice@gmail.com
दूरभाष संख्या:–0612–2285262

सं० सं–बि०वि०मि०–स्था०–(विशेषज्ञों की नियुक्ति)–24/2016(खण्ड) 1682 पटना, दिनांक 12/12/25

–:: आदेश ::–

बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की दिनांक–12.09.2017 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संविदा पर नियोजन कम से कम तीन वर्ष की हो एवं प्रत्येक 11 माह बाद नियंत्री पदाधिकारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर संविदा कर्मियों के कार्यो की समीक्षा की जाय। समीक्षोपरांत संतोषप्रद कार्य एवं आवश्यकतानुसार नये सिरे से एकरारनामा निष्पादित किया जाय।

2. उन संविदा कर्मियों के उपयोगिता/ आवश्यकता के मद्देनजर उनकी सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात कुल–05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से नियोजन करने के बिन्दु पर शासी निकाय, बिहार विकास मिशन से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी। शासी निकाय द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की दिनांक–18.04.2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–634, दिनांक–29.04.2019 के कार्यावली संख्या–06 के अनुपालन में बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या–818, दिनांक–28.05.2019 द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र हेतु संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों सहित बिहार विकास मिशन द्वारा नियोजित संविदा कर्मियों की सेवा और 02 (दो) वर्ष अर्थात् कुल–05 (पाँच) वर्ष तक जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर स्वीकृति प्रदान की गई।

3. मुख्य सचिव, बिहार–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक–21.12.2020 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की अष्टम् बैठक की कार्यवाही के कार्यावली संख्या–28 द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में शासी निकाय के अष्टम् बैठक की कार्यावली संख्या–04 में उक्त कर्मियों का एकरारनामा अगले और 02 (दो) वर्ष अर्थात् 07 (सात) वर्ष तक जारी रखने के बिन्दु पर शासी निकाय द्वारा आगामी बैठक में प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। शासी निकाय के आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा में बिहार विकास मिशन के नियोजित कर्मियों की सेवा 05 (पाँच) वर्ष से बढ़ाकर अगले 02 (दो) वर्ष अर्थात् कुल–07 (सात) वर्ष तक जारी रखने की स्वीकृति बिहार विकास मिशन के कार्यालय आदेश संख्या–1284, दिनांक–24.12.2021 द्वारा प्रदान की गई।

4. बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या–2224, दिनांक–11.12.2023 द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र/ बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम/ विभागों/ कार्यालयों एवं सदस्य सचिव कार्यालय तथा मिशन निदेशक कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा अवधि 07 (सात) वर्ष से बढ़ाकर 08 (आठ) वर्ष की गयी है, जिसपर कार्यकारी समिति की दिनांक–04.12.2024 को सम्पन्न बैठक की कार्यावली संख्या–3 (ii) द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

5. अध्यक्ष, कार्यकारी समिति–सह–मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदनोपरान्त बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या–501, दिनांक–27.03.2025 द्वारा जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र/ बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम/ विभागों/ कार्यालयों एवं सदस्य सचिव कार्यालय तथा मिशन निदेशक कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा अवधि 08 (आठ) वर्ष से बढ़ाकर 09 (नौ) वर्ष की गयी है।

6. वर्तमान में विभिन्न जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र/ बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम/ विभागों/ कार्यालयों/ सदस्य सचिव कार्यालय तथा मिशन निदेशक कार्यालय में कार्यरत कई कर्मियों की संविदा अवधि 09 (नौ) वर्ष (समय–समय पर विस्तारित) पूर्ण हो गयी है या होने वाली है।

तदालोक में सम्यक् विचारोपरांत उक्त के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

(i) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र/ बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम/ विभागों/ कार्यालयों एवं सदस्य सचिव कार्यालय तथा मिशन निदेशक कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, जिनकी संविदा अवधि 09 वर्ष (समय-समय पर विस्तारित) पूर्ण हो गयी है या होने वाली है, को कार्यहित में पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप बिहार विकास मिशन की वर्तमान योजना अवधि अर्थात दिनांक-31.12.2025 तक एकरारनामा विस्तार करने तथा मानदेय एवं सांविधिक कटौतियों यथा EPF आदि का भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) उक्त संविदा कर्मियों के कार्यों का प्रत्येक 11 माह के पश्चात् (कंडिका-6(i) के अनुसार) नियंत्री पदाधिकारी द्वारा समीक्षा की जायेगी एवं उनके मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार सेवा जारी रखने/ नये सिरे से एकरारनामा करने के बिन्दु पर आवश्यकतानुसार बिहार विकास मिशन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

7. प्रस्ताव में अध्यक्ष, कार्यकारी समिति-सह-मुख्य सचिव, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

12/12/25

(अश्वनी कुमार)

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड)..1682.......पटना, दिनांक..12/12/25....

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार विकास मिशन-सह-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त, बिहार-सह-अध्यक्ष, उप-मिशन, बिहार विकास मिशन के प्रधान आप्त सचिव/ सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/ मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

12/12/25

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड)..1682.......पटना, दिनांक..12/12/25....

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ सभी जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/12/25

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड)..1682.......पटना, दिनांक..12/12/25....

प्रतिलिपि :- सभी महाप्रबंधक/ उप सचिव/ सभी अवर सचिव, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/12/25

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड)..1682.......पटना, दिनांक..12/12/25....

प्रतिलिपिः- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/12/25

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

ज्ञापांकः- बि०वि०मि०-स्था०-(विशेषज्ञों की नियुक्ति)-24/2016(खण्ड)..1682.......पटना, दिनांक..12/12/25....

प्रतिलिपिः- HR Manager/ सभी संबंधित नियोजित कर्मी, बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/12/25

महाप्रबंधक-HR (Management) & IT

5:20 P.M
12/12/25